



पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग बिहार, पटना।



बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि परीक्षाओं की तैयारी का सुनहरा अवसर

छात्र/छात्रा की पात्रता :-

- > छात्र/छात्रा बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों।
- > पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य हों।
- > छात्र/छात्रा अथवा उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक अद्यतन आय सभी स्रोतों को मिलाकर रु-3,00,000/- होनी चाहिए।
- > छात्र/छात्रा की आय सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित कोर्स के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

आवेदन कैसे करें:-

> ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन सत्र हेतु प्रपत्र में पूर्ण आवेदन पत्र, वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं स्वयं की दो रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो के साथ संबंधित व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र (CARRIER GUIDANCE CENTRE), (1) पटना विश्वविद्यालय, पटना (2) तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (3) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (4) डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (5) भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (6) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं (7) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना को निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/ऑनलाइन के माध्यम से समर्पित किया जाना है।

नोट :- प्रत्येक सत्र में नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा से संबंधित अधिसूचना/ विज्ञापन शीघ्र ही जारी की जायेगी। इसके लिए विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट

<https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare/CitizenHome.html>

पर प्राप्त की जा सकती है।

पिछड़ा वर्ग एवं
अत्यंत पिछड़ा वर्ग
के छात्र/ छात्राओं के
लिए सुनहरा मौका



मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना :-

- > वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी में वृद्धि के उद्देश्य से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की निः शुल्क तैयारी हेतु प्रारंभ की गई महत्यकांक्षी योजना है।
- > इस योजनान्तर्गत NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के (1) पटना विश्वविद्यालय, पटना (2) तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर (3) ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा (4) डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (5) भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा (6) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया एवं (7) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना में करायी जायेगी।
- > पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्तीय सहायता प्रशिक्षण कार्यक्रम दिवाकालीन 60-60 छात्र-छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष दो सत्रों ग्रीष्मकालीन (अप्रैल-सितम्बर) एवं शीतकालीन (अक्टूबर-मार्च) संचालित कराई जायेगी।
- > चयनित छात्र-छात्राओं को आवासन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

चयन की प्रक्रिया एवं कुल उपलब्ध सीट :-

- > लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य पाये गये 60-60 विद्यार्थियों के दो-दो बैच के लिए 1680 सात केन्द्रों के लिए 240 प्रति केन्द्र छात्र छात्राओं का चयन किया जायेगा। उपलब्ध सीटों में 40 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग एवं 60 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए तथा उपर्युक्त दोनों कोटि में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे।

प्रशिक्षण अवधि :- 6 माह

PR No.- 13836 (BC & EBC) D. 2022-23

